NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Govt. Of India Undertaking)
Plot No. 24, Phase No.9, Industrial Area
Regional Office, Mohali-Chandigarh
Phone No. 0172-2215288

No: 12(4)/ HR/NSC/CHD./2022-23 01.08.2022

NOTICE INVITING E-TENDER

National Seeds Corporation (A Govt. of India Undertaking), Mohali invities E-Tender from reputed Companies in two bid system(Technical & Financial) for engaging Security Manpower for its Area Office, Jalandhar/Bhatinda/Karnal/Kathua and Regional Office, Mohali. Therefore, interested parties are requested to submit their offer online up to 1.00PM on 24.08.2022 at NSC, Regional Office, Plot No. 24, Phase-9, Industrial Area. Mohali & after that tender shall be opened on same date & venue at 2.00 PM in the presence of Tenderers if any.

Accordingly details of Terms & Conditions can be obtained from website www.indiaseeds.com & https://indiaseeds.enivida.com such parties have to deposit **online Rs.590/- (including GST) being cost of E-Tender documents.** The undersigned reserves the right to accept/cancel all or any Tender without any reason. **Any further corrigendum(s) to this tender shall be published only in our eportal https://indiaseeds.enivida.com**

Particulars	Details
Date of issue of NIT	02.08.2022
Last date and time for submission of online bid	24.08.2022 upto 1.00PM
Date and time of opening of Technical Bid	24.08.2022 upto 2.00PM
Date and time of opening of Financial Bid	24.08.2022 upto 4.00PM
Tender Form Fee including GST(To be deposited online only)	Rs.590/-(Rupees five hundred ninety only)
EMD(To be deposited online)	Rs.100000/-
Address for Communication	National Seeds Corporation Limited, Plot No. 24, Phase-9, Industrial Area, Mohali-160062
Contact Person(with Phone No & Email)	

1. Tender without EMD and Cost of tender farm (to be pay through online) will be Rejected.
2. The successful tenderers should remit Rs.2,00,000 as security deposit, by adjusting the EMD already paid.
3. NSC reserves right to make any alteration/modification in the tender documents or cancel the tender at any stage without assigning any reason.

STRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

3. Bidders must have a valid email id and mobile number.

4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)

क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड **मोहाली/करनाल/जालंधर/पीसी भटिंडा एवं पीसी कठुआ**
<u>में सुरक्षा गार्ड/ सुरक्षा गार्ड-कम-चालक(केवल मोहाली) में देने के लिए नियम एवं शर्तें</u>

1. सुरक्षा ठेका की अवधि दिनांक 01 **सितम्बर** 2022 से 31 **अगस्त** 2023 तक या, **क्षेत्रीय प्रबन्धक** के अग्रिम **आदेशों** तक होगी। सुरक्षा ठेके का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर **क्षेत्रीय प्रबन्धक** द्वारा ठेके की अवधि को एक साल वर्तमान दरों एवं सुरक्षा ठेके के वर्तमान अनुबंध की नियम व शर्तों पर आवश्कतानुसार बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार **क्षेत्रीय प्रबन्धक** द्वारा सुरक्षा ठेके की अवधि को घटा कर 30 दिन का नोटिस देकर बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है। सुरक्षा ठेके की अवधि को बढ़ाने या घटाने का फैसला पूर्ण रूप से **क्षेत्रीय प्रबन्धक** पर निर्भर होगा व सुरक्षित रहेगा।

2. सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि (EMD रुपये 100000/– (एक लाख केवल) हैं जो कि निविदा–दाता/निविदा–कार को **ऑन लाइन** जमा कराने होगें । धरोहर **राशि** के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा व असफल निविदा दाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर **राशि** केवल RTGS/NEFT द्वारा ही वापिस की जाएगी। सफल निविदादाता को स्वीकृति पत्र मिलने के पश्चात 03 तीन **दिन** के अन्दर निम्न विवरण के अनुसार प्रतिभुति राशि (Security Deposit) रू 2,00,000/– (**रुपये**. **दो** लाख केवल) **जमा करानी** होगी ।

3. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु जमा कराई गई धरोहर राशि (E.M.D.), प्रतिभूति राशि (Security Deposit) में समायोजित कर दी जायेगी जो कि **क्षे०का०** द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य के संतोषजनक रूप से समाप्त होने पर सुरक्षा ठेके के कार्य करने बावत नियुक्त सभी चौकीदारों को उनके वेतन का पूरा भुगतान श्रम कानूनों के अनुसार होने (जिसके सुरक्षा ठेकेदार को प्रमाण देने होगें) की स्थिति में सुरक्षा ठेका समाप्त होने के 2 महीने पश्चात बिना ब्याज के सम्बन्धित सुरक्षा ठेकेदार को वापिस की जाएगी ।

4 सुक्ष्म लघु और मध्यम उदयम मंत्रालय, केन्द्र सरकार के निर्देषानुसार एवं जी.एफ.आर के नियम 170 के अनुसार सुक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME's) को EMD व Tender fee जमा करनें में छुट होगी। इसके लिये उन्हें निर्धारित दस्तावेज प्रमाण हेतु निविदा में जमा करनें होंगे।

5. सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 01 महीने के अन्दर केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत **उप इकाईयों/क्षेत्रीय कार्यालय** पर सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु जारी ठेकेदार लाइसेंस जमा कराना होगा। ठेकेदार द्वारा ठेकेदार लाइसेंस की अनुपालना तय समय सीमा में न करने की स्थिति में ठेकेदार का मासिक भुगतान **नेसीकॉ** द्वारा रोक लिया जाएगा।

6. सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए इच्छुक **पार्टियों/फर्म के पास** अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफॅ पुलिस, द्वारा **PSAR, Act 2005** के अंतर्गत जारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसैंस **(PSAR, Act 2005) होना अनि**वार्य है । यदि सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने वाली किसी पार्टी/फर्म के पास उपरोक्त कथित प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसैंस **(PSAR, Act 2005)** नहीं है और वह सुरक्षा ठेके की निविदा में सफल होता है तो सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 03 महीने के अन्दर अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफॅ पुलिस द्वारा जारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसैंस **(PSAR, Act 2005)** मानव संसाधन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा । उसे सुरक्षा ठेके की निविदा में स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा **।**

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेके का कार्य आदेश जारी होने के 03 महीने के अन्दर उपरोक्त कथित **P.S.A का** वैध/मान्य लाइसैंस जमा न करने की स्थिति में **क्षे०का०** द्वारा बिना किसी नोटिस के आवंटित सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभुति राषि जब्त कर ली जाएगी ।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए निविदादाता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :–

क. सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए इच्छुक पार्टीयों/फर्मो का हरियाणा/ **पंजाब/जम्मू एंड कश्मीर** सरकार के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

ख. निविदादाता को सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सरकारी उपक्रम/निगम में संलिप्त सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के अनन्य सुरक्षा ठेके कार्य का कम से कम 02 (दो) साल या निजी क्षेत्र/गैर **सरकारी संस्था** में स्थापित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत नियमित हो **में 3 साल का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।**

8. ऐसा कोई भी व्यक्ति/फर्म सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जोः–

क– पूर्व में कभी भी निगम के विरुद्ध/गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित रहा है या राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड/अन्य किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र/निगम आदि संस्थान के द्वारा ब्लैक–लिस्टेड/प्रतिबंधित (Blacklist/Delist/Debarred) हो । निविदादाता को निविदा दस्तावेजों में उसका व उसकी फर्म का किसी भी संस्था द्वारा बलैक लिस्ट ना किये जानें बाबत शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में जमा कराना होगा।

ख– यदि किसी व्यक्ति/फर्म व निगम के बीच किसी भी न्यायालय में वाद लम्बित/विचाराधीन है तो इस संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा निणर्य जारी करनें तक उस व्यैक्ति/फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग– जिन व्यक्तियों/पार्टीयों/फर्म को वर्तमान में **क्षेत्रीय कार्यालय,मोहाली** द्वारा गोदाम परिसर/विधायन संयत्र/गोदाम परिसर पर किये जानें वाले कृषि कार्यों का ठेका आवंटित किया गया है, वे सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

9. सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा **उप इकाइयों/क्षे०का०** की सुरक्षा वयवस्था की देख रेख हेतु नियुक्त प्रतिनिधि **उप इकाइयों/क्षे०का०** में खुद उपस्थित रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय–2 पर **उप इकाई/क्षे०का के उच्च** अधिकारी द्वारा बताए गए निर्देशों की अनुपालना करेगा। **अगर उप इकाइयों/क्षे०का० में किसी** संम्पति का नुकसान होने **पर** सुरक्षा ठेकेदार **के विरुद्ध प्र० कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय** द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद सुरक्षा ठेकेदार की होगी। **किसी** संम्पति **के नुकसान की पूर्ति** सुरक्षा ठेके के मासिक बिल के भुगतान **से की जाएगी** ।

10. **क-** सरकारी/अर्धसरकारी स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के अनन्य सुरक्षा ठेके कार्य का कम से कम दो साल 02 (दो) साल या निजी क्षेत्र/गैर **सरकारी संस्था** में स्थापित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत नियमित हो **में 3 साल का अनुभव प्राप्त होना चाहिए** संतोषजनक कार्य का कार्यानुभव प्रमाणपत्र **।**

।

ख – दो साल की आई.टी.आर. आडिटर द्वारा जारी वार्षिक रिर्टन और रू0 2500000 हेतु बैलेंस **शी**ट की प्रति, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. नं., वस्तु एवं सेवाकर **(GST)** रजिस्टेषन न0, लेबर लाइसैंस न0, पैन कार्ड एवं जिला रजिस्ट्रार फर्मस के द्वारा फार्म **ए** व **सी** के प्रारूप में जारी वैद्य प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति एवं निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित ठेके के नियम एवं शर्तो के दस्तावेज।

ग – निविदादाता को एफिडेविट देकर प्रमाणित करना होगा कि उसे या उसकी फर्म को कभी भी किसी भी सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है व उसके द्वारा निविदा में जमा करवाये गये दस्तावेज पूरी तरह से सही है । वित्तीय निविदा उसी निविदादाता की खोली जायेगी जो तकनीकी निविदा में सफल होगा।

(2) **प्र०कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय** सम्पत्ति की रखवाली करने, **गोदामों** के अन्दर आने व बाहर जाने वाले वाहनों, बीज, अबीज व समस्त अन्य सामान की जांच करने व उनका विवरण गेट रजिस्टर में इन्द्राज करने गोदाम मे आने व बाहर जाने वाले बीज/अबीज/ समस्त अन्य सामान की तुलाई करने व तुलाई का पुरा विवरण तुलाई रिकार्ड रजिस्टर में इंदराज करने हेतु गार्ड **की जिम्मेवारी होगी।**

<u>कृपया नोट करें:–</u> भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. कानून लागू किया गया है। अतः निविदादाता को निविदा प्रपत्र में सुरक्षा ठेके के कार्य की दरें प्रतिमाह जी.एस.टी. सहित देनी होगी एवं ठेकेदार प्रतिमाह ठेके के बिल में जी.एस.टी. की राशि अलग से दर्शानी होगी व जी.एस.टी. (G.S.T.) की जमा की गई राशि के मूल चालान प्रत्येक बिल के साथ संलग्न करने होगें । ठेकेदार द्वारा मासिक बिल के साथ जमा कराई गई जी.एस.टी. के मूल चालान व भुगतान रसीद के दस्तावेज संलग्न न करने/गलत चालान संलग्न करने की स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा व इसके साथ–2 जी.एस.टी. नियमों की अवहेलना करने की सूचना संबंधित आयूक्त कार्यालय, जी.एस.टी. विभाग को कर दी जायेगी जिसकी पूर्णरूप से जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी । ठेके की अवधि के दौरान कभी भी पाया जाता है कि ठेकेदार ने बिल का भुगतान करवाने हेतु जीएसटी/ईपीएफ/इएसआई के गलत/झुठे चालान पेश/संलग्न किए थे तो क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राषि रू0 दो लाख जब्त कर ली जाएगी व उसे तीन साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/प्र०का० के किसी भी ठेके में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।

11. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेवारी होगी कि **उप इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय** में किसी के भी द्वारा अनाधीकृत रूप से अतिक्रमण न हो व ऐसा होने पर उसे रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। **उप इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय की** सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान का आंकलन **क्षेत्रीय प्रबन्धक** द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा व नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि **उप इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय की** सम्पत्ति का नुकसान के आंकलन के समय मौजूद रहेगा व ऐसा ना करने पर उसके द्वारा नुकसान की भरपाई के संदर्भ में कोई सुनवाई नही की जाएगी। अगर ठेकेदार **उप इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय** सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई उसको सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर नही करता है तो भरपाई की रकम उसके सुरक्षा ठेके के कार्य के मासिक भुगतान से कटौती कर **क्षेत्रीय कार्यालय** द्वारा वसूली जाएगी ।

12. **उप इकाई** के किसी विशेष <u>क्षेत्र</u> पर ठेकेदार द्वारा किए गए सुरक्षा कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने व निरंतर नुकसान होने पर उप **इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय** को ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति/फर्म से कराने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा आएगा वह सुरक्षा ठेकेदार के मासिक भुगतान से काट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में **क्षेत्रीय कार्यालय** द्वारा आवंटित सुरक्षा ठेका बिना किसी नोटिस के निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 5 साल के लिए **निगम** के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा।

13. सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही पाया जायेगा व जो विशवसनीय होगा। अन्य बातों के अलावा सुरक्षा ठेकेदार **नेसीका के** किसी भी कर्मचारी का **रिश्तेदार** व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाये गए **गार्ड नेसीका** के किसी भी कर्मचारी से कोई झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे एवं ठेकेदार द्वारा मानव संसाधन अधिकारी की सहमति के बिना किसी चौकीदार/**गार्ड** को सुरक्षा कार्य के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा। कोई विवाद होने पर वे उसकी रिपोर्ट **उप इकाई प्रभारी**/मानव संसाधन **प्रभारी** को देंगे।

14. ठेकेदार को सुरक्षा ठेके कार्य के बिल हर आगामी माह की 10 तारीख तक **क्षेत्रीय कार्यालय** में वेतन भुगतान सूची, ई.पी.एफ./ई.एस.आई., जी.एस.टी. के समस्त दस्तावेजों सहित जमा कराना अनिवार्य होगा। **क्षेत्रीय कार्यालय** द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर नियमान्तर्गत देय टैक्स काटने के **पश्चात** किया जायेगा । ठेकेदार सभी कामगारों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा **करेगा** इसके साथ–2 ठेकेदार को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (18 प्रतिशत जी.एस.टी.) संबंधित विभाग में प्रतिमाह स्वयं जमा कराकर मासिक बिल के साथ जमा कराई गई जी.एस.टी. राशि के मूल चालान संलग्न करने होंगे । ठेकेदार प्रति माह अपने बिल के साथ उसके द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य हेतु सभी नियुक्त सभी चौकीदार/**गार्ड** के बैंक खाते में श्रम कानूनों के अनुसार जमा की गई वेतन की **राशि** के भुगतान का विवरण/(Proof), ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की **राशि**, न्यून्तम मजदूरी भुगतान, 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) एवं अन्य वैद्यानिक देयता जो श्रम कानून के अन्तर्गत आती है के प्रमाण सलंग्न करेगा । यदि ठेकेदार मासिक बिल के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसके बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी । ठेकेदार द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो को पूरा करने की स्थिति में उसके बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा ।

ठेकेदार द्वारा सम्पति की सुरक्षा हेतु लगाये गये **गार्डों** के वेतन का भुगतान हर महीने की 07 तारीख तक नहीं करने की स्थिति में प्रबंधन को प्रमुख नियोक्ता होने के नाते सुरक्षा ठेकेदार के बिलों का भुगतान रोकने व ठेकेदार को देय राशि (मासिक बिल/प्रतिभूति राषि) से **गार्डों** को सीधे भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

सुरक्षा ठेकेदार को ठेका आरम्भ होने के सात दिन के अन्दर मानव संसाधन अधिकारी के कार्यालय मे उसके द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य बाबत फार्म पर नियुक्त किये गए सभी चौकीदारों/**गार्डों** के नाम व पते की **सूची** उपलब्ध करानी होगी। ठेकेदार कोई भी चौकीदार बिना मानव संसाधन अधिकारी/प्रबंधन की अनुमति के सुरक्षा ठेके के कार्य के लिए नियुक्त नहीं करेगा । मानव संसाधन अधिकारी/प्रबंधन को ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी चौकीदार/**गार्ड** को ठेके के कार्य से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा । ठेकेदार को उसके द्वारा लगाए गए सभी चौकीदारों/**गार्डों** के वेतन का श्रम कानूनों के अनुसार भुगतान प्रति माह की 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित हर माह की 7 तारीख तक चौकीदारो/ **गार्डों** के वेतन का भुगतान नहीं करता है तो **क्षे०का०** द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा व उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

15. सुरक्षा ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए **सुरक्षा** कर्मियों के मामले में समस्त लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा । ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष व अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए व वह शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए । स्वयं उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी की दुर्घटना होने की स्थिति में प्रबन्धन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे जैसे ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0, न्यूनतम मजदूरी, वस्तु एवं सेवाकर जी.एस.टी. आदि नियमों का पालन की जिम्मेवारी स्वयं सुरक्षा ठेकेदार की होगी व इस बाबत अलग से **निगम** द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पूर्व रू. 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के नॉन–ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए **क्षेत्रीय कार्यालय** से लिखित अनुबंध करना होगा। अनुबंध हेतु नॉन–ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा। मूल अनुबंध फार्म के पास रहेगा तथा सत्यापित प्रति ठेकेदार को दी जाएगी।

17. सुरक्षा ठेकेदार किसी प्रकार की निगम विरोधी कामों में सम्मिलित नही होगा। अगर किसी भी समय यह पाया गया कि ठेकेदार का निगम विरोधी हरकतों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभुति **राशि** जब्त कर ली जाएगी व उसकों 5 साल के लिए **निगम** के किसी भी ठेके में भाग लेने के लिए प्रतिबन्धित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में **निगम** द्वारा सुरक्षा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति/फर्म से कराया जा सकता है व ऐसा होने पर जो भी आर्थिक व्यय होगा उसकी भरपाई सुरक्षा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति **राशि** या **निगम** द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य बाबत देय मासिक भुगतान से कटौती कर की जाएगी।

18. ठेकेदार को प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार उसके द्वारा की गई सुरक्षा संबंधित व्यवस्था, किसी भी प्रकार की घटी अप्रिय घटना/नुकसान/चोरी की लिखित रिपोर्ट **उप इकाई के प्रभारी**/मानव संसाधन **प्रभारी** को देगा।

19. ठेकेदार द्वारा ठेके का कार्य बीच में छोडने तथा उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका प्रबन्धन द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर निरस्त कर प्रतिभूति राषि जब्त कर ली जायेगी। इसके साथ–2 ठेकेदार को आगामी तीन साल के लिए **निगम** के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

20. यदि सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि सुरक्षा ठेकेदार ने सुरक्षा ठेके की निविदा में सुरक्षा ठेका प्राप्त करने हेतु /ठेका आवंटित होने के बाद सुरक्षा कार्य के बिल के साथ वेतन भुगतान, ई.पी.एफ, इ.एस.आई, वस्तु एवं सेवाकर जी.एस.टी. आदि के झूठे/गलत प्रमाण–पत्र पेश किए तो **क्षे०का०** द्वारा तुरंत प्रभाव से उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए ठेकेदार का सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति **राशि** जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ–2 ठेकेदार को आगामी पांच साल के लिए **निगम** के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

21. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जाएगा जिसका निगम अथवा किसी अन्य राजकीय/अर्धराजकीय संस्था (केंद्रीय अथवा राज्य) की काली सूची में **नाम** न हो । ब्लैक लिसटेड व्यक्ति व उनसे संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जाएगा ।

Arbitration / विवाचन :

सुरक्षा ठेके के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, **मोहाली-चंडीगढ़ तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार–विमर्ष से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों** पक्षो **में आपसी विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में दोनों पक्ष मामले का समाधान/निपटारा** Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रावधान के अनुसार **करने पर बाध्य होंगे।** इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार **अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक**, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के द्वारा **विवादित मामले के निपटारे हेतु एकल विवाचक की नियुक्ति दोनों** पक्षो की **सहमति से की जाएगी व दोनों पक्ष अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक के अनुपालना करेंगे फैसले की ।** विवाचक का फैसला अंतिम व दोनों पक्षो को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिए यह आवष्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराएं। **सुरक्षा ठेके से संबन्धित विवाद के संदर्भ में** विवाचन (Arbitration) **की कार्यवाही अंग्रेजी** (English) **भाषा में की जाएगी व स्थान नई दिल्ली होगा। केवल नई दिल्ली** स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही लागू होगा।

" In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law.The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English language. The court of Delhi shall have the jurisdiction."

क्षेत्रीय प्रबन्धक

मैने उपरोक्त सुरक्षा ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तो की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर ....

नाम...

पता...

फोन न0..

ई–मेल आई.डी.............................

बैंक खाते का विवरण ....

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We……………………………………………………..…Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S………………….. ……………………………… do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm is not been Blacklisted/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of Security Contract awarded to me by National Seeds Corporation, Mohali, it comes to knowledge that any information/documents related to security contract submitted by me are false then NSC, Mohali may take any action against me as per terms and conditions of the Security Contact.
4. I will sincerely comply with all the provisions of contract labour laws and pay the wages of all the workers deputed by me at the farm by 7^{th} of every month. I will deposit EPF and ESI amount in respect of all the workers deputed by me at the farm for security contract work and submit proof of the same every month.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -------------------------

Place: ---------

Name of Authorized Signatory: ---------------------------

Date: ----------------

Address:----------------------------

Phone No: - ----------------------
Mobile No. -----------------------

ANNEXURE -A

Form for Technical Bid

TENDER FORM FOR SECURITY SERVICES AT NSC, JAL/BHT/KATHUA/R.O.Mohali

1. Name & Address of the tenderer ______________________

   ____

2. Name of the proprietor/partner ______________

3. Registration under Shops & Estt. Act
   (Enclose copy of the registration) ______________________

4. Income Tax/PAN No
   (Enclose copy) ______________________

5. EPF Registration ____________________
   (Enclose copy)

6. ESI Registration
   (Enclose copy) ______________________

7. Previous experience
   (a) Govt. experience certificate/ from having Reputed Private firms

8. GST No. _______

9. Detail of EMD ______________

10 Certificate for exemption of EMD ....

11. Authorization of competent authority toSign

    this Tender document ______________

Date:

Place: Name & Signature of the tenderers with official stamp

Annexure-B

Form for Financial Bid

TENDER FOR SECURITY SERVICES AT JALANDHAR/BHATINDA/KATHUA/MOHALI

Name of the Tenderers / Party:

Sl.No	**Particulars**	**Remarks**
1.	Basic (Unskilled)	Fixed as per State Govt.
2.	Basic (skilled)	Fixed as per State Govt.
3.	D.A.	Fixed as per State Govt
4.	E.P.F. @ 13 %	Fixed as per State Govt
5.	E.S.I. @ 4.75 %	Fixed as per State Govt

Sl.No	**Particulars**	**To be filled by the Party**
1.	Service Charge only on basic Pay(Skilled/Unskilled)	

Date:

Place: Name & Signature of the tenderers with official stamp

DECLARATION

FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN DEPARTMENT OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(To be given on Company Letter Head)

I___________________S/o__________________R/o_______________hereby certify that none of my relative(s) as defined in the tender document no:dated: is/are employed in Department of National Seeds Corporation Ltd., as per details given in tender document. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, National Seeds Corporation Ltd., Mohali shall have the absolute right to take any action as deemed fit/without any prior intimation to me.

Signed_________________________________

Name (in Block Letters) ____________________________

Position________________________________

Date __________________________________

Seal of the bidder

The near relatives for this purpose are defined as:

a) Members of a Hindu undivided family.

b) They are husband and wife.

c) The one is related to the other in the manner as father, mother, son(s) and Son's wife (daughter in law), Daughter(s) and daughter's husband (son in law), brother(s) and brother's wife, sister(s) and sister's husband (brother in law)